अभियंता प्रमुखका कार्यालय,

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

सं०सं0–निग / सारा–(निगम)–आरोप–105 / 2020 पटना, दिनांक 11/08/2025

कार्यालय आदेश -153

प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना के पत्रांक–3079 (अनु0) दिनांक–07.12.2020 के द्वारा वरीय परियोजना अभियंता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, कार्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के पत्रांक–1079 अनु0 दिनांक–19.10.2020 की छायाप्रति संलग्न करते हुए श्री रविन्द्र शर्मा, तदेन कनीय अभियंता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, कार्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के विरूद्ध उक्त पदस्थापन काल में सीतामढ़ी एवं मुजफ्फरपुर जिला में कार्यान्वित पुल एवं पहुँच पथ हेतु भू–अर्जन के कार्य में नियमित रूप से अनुश्रवण नहीं करने एवं कम रूची लेने के कारण भू–अर्जन के कार्य में विलंब होने संबधी मामले में आवश्यक कार्रवाई करने हेतु अनुरोध किया गया। उक्त के आलोक में विभाग स्तर से आरोप पत्र गठित करते हुए विभागीय पत्रांक–5721 (ई) अनु0 दिनांक–22.09.2022 के द्वारा श्री शर्मा से स्पष्टीकरण की माँग की गयी।

2. उक्त के आलोक में उनके आवेदन दिनांक–21.10.2022 के द्वारा विभाग को समर्पित स्पष्टीकरण उत्तर के समीक्षोपरांत लिए गये निर्णय के आलोक में उक्त स्पष्टीकरण उतर की छायाप्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक–6307 (एस) अनु0 दिनांक–13.12.2024 के द्वारा उक्त स्पष्टीकरण पर अपना साक्ष्यगत मंतव्य विभाग को उपलब्ध कराने हेतु प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना से अनुरोध किया। उक्त के आलोक में स्मारोपरांत वांछित मंतव्य सम्प्रति अप्राप्त है।

3. इसी क्रम में प्रशाखा पदाधिकारी प्रशाखा–03 के पत्रांक–4694 (ई) अनु0 दिनांक–17.07.2025 के द्वारा श्री रवीन्द्र शर्मा, कनीय अभियंता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, कार्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर का मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करते हुए सूचित किया गया कि श्री शर्मा की दिनांक–08.12.2024 को मृत्यु हो गयी है।

4. उल्लेखनीय है कि सामान्य प्रशासन विभाग, पटना के पत्रांक–8811 दिनांक–18.07.2017 के कण्डिका–04 में प्रावधान है कि–**''विभागीय कार्यवाही संचालन के क्रम में, विचारण के किसी भी चरण में, आरोपित सरकारी सेवक की मृत्यु हो जाने की स्थिति में, संबंधित सरकारी सेवक के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही स्वतः समाप्त हो जायेगी तथा मृत्यु की सूचना का उल्लेख करते हुए संबंधित आरोप प्रकरण को संचिकास्त कर दिया जायेगा।''**

अतएव उपर्युक्त वर्णित तथ्यों तथा प्रावधान के आलोक में समीक्षोपरांत श्री रविन्द्र शर्मा, तदेन कनीय अभियंता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, कार्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर सम्प्रति मृत के विरूद्ध आलोच्य मामले को संचिकास्त किया जाता है।

ह० / –
अभियंता प्रमुख (मु0),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
कृ0पृ0उ0

D/NIGRANI SECTION/SANJIV KUMAR/ADHISHUCHNA & KARYALAY ADESH

ज्ञापांक :– निग/सारा–(निगम)–आरोप–105/2020 पटना, दिनांक :–

प्रतिलिपि :– सचिव, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अपर सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव, पथ निर्माण विभाग, पटना/अभियंता प्रमुख (मु0), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना/उप सचिव, प्रभारी प्रशाखा–03, पथ निर्माण विभाग, पटना/वरीय परियोजना अभियंता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, कार्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/अवर सचिव, मुख्यालय/लेखा, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पथ निर्माण विभाग, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–3/6/13/14/30 (लेखा शाखा), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
अभियंता प्रमुख (मु0),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– निग/सारा–(निगम)–आरोप–105/2020 पटना, दिनांक :–

प्रतिलिपि :– श्रीमति रेणु देवी, पत्नी स्व0 रविन्द्र शर्मा, ग्राम–उस्मानपुर, पो0–कोशियावां, थाना–एकंगरसराय, जिला–नालन्दा **को सूचनार्थ प्रेषित।**

निबंधित

ह0/–
अभियंता प्रमुख (मु0),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– निग/सारा–(निगम)–आरोप–105/2020 5287 (E) पटना, दिनांक :– 11/08/2025

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय website पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

07.8.25

अभियंता प्रमुख (मु0),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

07.08.25

D/NIGRANI SECTION/SANJIV KUMAR/ADHISHUCHNA & KARYALAY ADESH